बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in, Email-bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 25/11/2022

अधिसूचना

संख्या- नि०प्रा०/विधि 1-05/2022 2150 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-346 दिनांक 09.03.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ **नवादा जिला के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत कुलना पैक्स** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-447 दिनांक 25.03.2022 द्वारा स्थगित किया गया था। निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन से पूर्व प्रपत्र-ई०-1 में 'सूचना का प्रकाशन' का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था।

अत: उक्त आलोक में **कुलना पैक्स** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या-346 दिनांक 09.03.2022 के क्रम में स्थगन के प्रक्रम से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	09.12.2022 (शुक्रवार) एवं 10.12.2022 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	12.12.2022 (सोमवार) एवं 13.12.2022 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	15.12.2022 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	22.12.2022 (गुरूवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	22.12.2022 (गुरूवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	24.12.2022 (शनिवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **कुलना पैक्स** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इश्तेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। दिनांक 02.12.2022 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाईट पर http://bsea.bihar.gov.in प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

5. **बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 24.12.2022 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।**

6. अधिसूचना संख्या 346 दिनांक 09.03.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पासवान)
सचिव।

ज्ञापांक : 2150 पटना/ दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक : 2150 पटना/ दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), नवादा/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी, नवादा/ वरीय पुलिस अधीक्षक, नवादा/ अपर समाहर्त्ता, नवादा/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰), अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), नवादा से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), अकबरपुर को उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करेंगे।

सचिव।

ज्ञापांक : 2150 पटना/ दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक : 2150 पटना/ दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूप बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव।